न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 84/2015/251–ए आरटीए

1. रामेश्वर पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी धीजपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

––प्रार्थी

बनाम

1. विमलादेवी पत्नि गिरधारीलाल
2. सजनादेवी पत्नि मोहनलाल
3. मन्जूदेवी पत्नि जगदीश प्रसाद
   समस्त जाति जाट निवासीगण नयाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0
4. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।

––अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. श्री नन्दलाल धायल वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक – 16.12.2019

आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार सें है कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 171 वाके ग्राम धीजपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की भूमि खसरा नम्बर 176 वाके ग्राम धीजपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 171 की उत्तरी सीमा तक 15 फीट चौड़ा व 220 फीट लम्बाई कुल क्षैत्रफल 3300 वर्गफीट रास्ता कायम करना चाहता है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के खत में जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत मे पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की भूमि में सें बताये गये उक्त रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है उक्त रास्ता सुगम व निकटतम है व धारा 251ए आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग करने सें पूर्णतया वंचित रह जायेगा अतः आवेदन प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन अंतर्गत धारा 251ए आरटीए स्वीकार किया जाकर ग्राम धीजपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 1.12 हैक्टर में जो खसरा नम्बर 176 की पूर्वी सीमा के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

सहारे सहारे ग्राम धीजापुरा से गनोड़ा जाने वाले रास्ते तक 15 फीट चौड़ा रास्ते में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि तय करके अनावेदकगण संख्या 1 ता 3 को दिलाई जाकर रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित करके रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर अलग खसरा नम्बर अंकित किये जावे।

आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 की ओर सें वकील श्री नन्दलाल धायल हाजिर आये। आवेदित रास्ते के संबंध में उपतहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर वकील अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति पेश की गई जिसें बादसुनवाई स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार दांतारामगढ सें रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण की ओर सें आवेदन अंतर्गत धारा 251ए आरटीए का जवाब पेश किया गया।

आवेदन 251ए आरटीए पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन 251ए आरटीए के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि के उपयोग हेतु मौके पर रास्ता नहीं है अतः आवेदन स्वीकार कर आवेदित रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 171 में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण के खेत सें होकर कभी भी रास्ता नहीं रहा है। आवेदक के खेत खसरा नम्बर 71 में पहुंचने व उपयोग उपभोग हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा आवेदक के खेत के सटता हुआ ठीक पूरबब दिशा की ओर खसरा नम्बर 172 गैरमुमकिन रास्ता लगता है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस से पूर्णतया साबित है। अतः आवेदक/प्रार्थी का आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 171 में आने जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता पहले सें ही मौजूद होने के कारण आवेदन 251ए आरटीए खारिज फरमाया जावे।

आवेदन अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रास्ते संबंधी प्रस्ताव रिपोर्ट एवं उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजों तथा जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। तहसीलदर दांतारामगढ अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि खसरा नम्बर 171 के आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। खसरा नम्बर 171 के पूर्वी भाग में स्थित खसरा नम्बर 172 किस्म गैरमुमकिन रास्ता है जो कि मौके पर प्रचलित नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अवलोकन से भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 171 के समीपवर्ती खसरा नम्बर 172 गैरमुमकिन रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में रास्ते के अभाव वाले खातेदार को रास्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। चूंकि खसरा नम्बर 171 के पूर्व दिशा में समीपवर्ती खसरा नम्बर 172 गैरमुमकिन रास्ता अवस्थित है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानों पर खरा नहीं उतरने के कारण खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 171 में आवागमन हेतु उक्त वर्णित रिकॉर्डेड रास्ते को खुलवावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner